उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
(229)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ - 226001
UP PWD, Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001
96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315, 2235472
Fax No. : 0522-2236716
e-mail : pwdeinc@gmail.com

पत्रांक 5488 ई0/28 ई0 (सदस्य)/14-17 दिनांक 21-8-18

# कार्यालय–ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्रांक– 2192ईए/28ईए(सदस्य)/14–17 दि0 05.04.2018 द्वारा मा0 उप मुख्यमंत्री जी की विभागीय समीक्षा बैठक एवं मा0 उप मुख्यमंत्री जी तथा अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन की वीडियो कांफ्रेन्सिंग में निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्री ए0के0 कनोजिया, अधिशासी अभियन्ता को नोडल अधिकारी नामित किया गया था।

उक्त आदेश में संशोधन करते हुए मा0 उप मुख्यमंत्री जी की विभागीय समीक्षा बैठक एवं मा0 उप मुख्यमंत्री जी तथा अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन की वीडियो कांफ्रेन्सिंग में निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए **श्री सौरभ बैराठी, अधिशासी अभियन्ता, ~~आर0एस0डी0~~ यातायात-5, लो0नि0वि0, लखनऊ** को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि समीक्षा बैठक एवं वीडियो कांफ्रेन्सिंग के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्राप्त कर, प्रस्तावित बैठक से चार दिन पूर्व मा0 उप मुख्यमंत्री जी एवं अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0/-
**(वी0 के0 सिंह)**
**प्रमुख अभियन्ता (विकास)**
**विभागाध्यक्ष**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प/नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश।
4. अधीक्षण अभियन्ता (परियोजना)/(नियोजन)/(समग्र)/(आई0डी0एस0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. श्री अशोक कनोजिया, अधीक्षण अभियन्ता (परियोजना), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. श्री सौरभ बैराठी, अधिशासी अभियन्ता, ~~आर0एस0डी0–5,~~ यातायात लो0नि0वि0, लखनऊ।

21/8/18
**प्रमुख अभियन्ता (विकास)**
**विभागाध्यक्ष**

उत्तर प्रदेश सरकार (230)
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ - 226001
UP PWD, Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001
96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315, 2235472
Fax No. : 0522-2236716
e-mail : pwdeinc@gmail.com

पत्रांक 305 प्रा0-/प्र0अ0 (प्र0-1)/18 दिनांक 21-08-2018

## कार्यालय–ज्ञाप

**हम सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह परम दायित्व है कि निर्माण कार्यों में उच्चकोटि की गुणवत्ता बनाये रखें। प्रदेश की जनता को सर्वोच्च गुणवत्ता के मार्ग बनाकर सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिये उपलब्ध करायें एवं विभाग तथा शासन की छवि को अच्छा बनाये रखें।**

समय–समय पर विभिन्न जनपदों से खराब गुणवत्ता के कार्यो की शिकायत आती रहती है एवं जांच होने पर अधिकारी/कर्मचारी दण्डित होते हैं तथा कई बार खराब गुणवत्ता के लागत की वसूली भी शासनादेशों के कम में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से की जाती है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी लापरवाही या अनदेखी के कारण इस प्रकार के प्रकरण पैदा होते हैं। मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं कि खराब गुणवत्ता के कार्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं यदि ऐसा पाया गया तो निर्माण करने वाली एजेन्सी एवं निर्माण से जुडे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान सरकार के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी कई जगहों से खराब गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त हो रही है। इस कम में निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :–

1. समस्त प्रकार के बिटुमिनस कार्यों में अन्तिम देयक के साथ निर्माण अवधि में किये गये गुणवत्ता के टेस्ट मुख्यता डेन्सिटी एवं बिटुमिनस प्रतिशत को अवश्य लगाया जाये।
2. सीमेन्ट स्टेब्लाईजेशन/सी0सी0 निर्माण में कार्यस्थल से नमूने एकत्रित कर 7 days VCS/Strength प्राप्त कर अन्तिम देयक के साथ लगायी जाये।
3. डब्लू0एम0एम0 के कार्य को किसी भी स्थिति में बिना प्लान्ट के न कराया जाये।
4. ग्रामीण मार्गों के निर्माण में स्टेब्लाईजेशन का कार्य बिना रोटावेटर के सम्पन्न न कराया जाये।
5. यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी गुणवत्ता के प्रति सजग न हो तो प्रथम बार अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से उसके उपरान्त मुख्य अभियन्ता के स्तर से उसको सचेत किया जाये। सुधार न होने की स्थिति में प्रकरण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में प्रेषित किया जाये।

यह भी उल्लेखनीय है कि कई अधिकारी अनुबन्ध बनाने के लिए नियमानुसार शिड्यूल बैंक की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के अतिरिक्त अन्य बैंक/संस्थान से सिक्योरिटी प्राप्त कर अनुबन्ध बना लेते हैं एवं अनुबन्धित ठेकेदार को मोबिलाईजेशन/मशीनरी एडवांस इस प्रकार की सिक्योरिटी/बैंक गारण्टी के विरूद्ध देते हैं। पूर्व में भी इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इस प्रकार का एक प्रकरण जनपद पीलीभीत में भी हुआ है। इस कार्यालय के पत्रांक– 375 कैम्प–प्र0अ0विकास/03(मु0–1)/17 दि0 18.05.2017 द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अनुबन्धों के विरूद्ध लगी बैंक गारण्टी/सिक्योरिटी इत्यादि का सत्यापन कराया जाये। यदि कोई ऐसी सिक्योरिटी प्राप्त होती है, जो जाली या फर्जी है, या नियमानुसार शिड्यूल बैंक नहीं है तो उसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

**आपको पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि खराब गुणवत्ता का कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा एवं शासन की मंशा के अनुरूप ऐसा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।**

ह0/- 21/8/18

**(वी0 के0 सिंह)**
**प्रमुख अभियन्ता (विकास)**
**विभागाध्यक्ष**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लो0नि0वि0, उ0प्र0 को मा0 उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
3. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मु0–1)/(मु0–2)/(सेतु)/(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 **(ईमेल द्वारा)।**

ह0/- 21/8/18

**प्रमुख अभियन्ता (विकास)**
**विभागाध्यक्ष**